उपकार रिवाल्विंग फण्ड

प्रस्तावना

उत्तर प्रदेश राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद द्वारा उ.प्र. कृषि अनुसंधान परिषद को उपलब्ध कराई गई रू. 10.00 करोड़ की धनराशि एवं उससे अर्जित ब्याज के संकलित योग के सापेक्ष प्रदेश के विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों/अन्य कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान से जुड़े राज्य की संस्थाओं से प्रस्तावित योजनाओं के सफल क्रियान्वयन हेतु उत्तर प्रदेश शासन, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग, कार्यालय ज्ञाप संख्या–226/67–कृशिअ–14–700(29)/02, दिनांक 24 जनवरी, 2014 द्वारा निम्नवत् परीक्षण तथा अनुमोदन समिति का गठन किया गया हैः–

परीक्षण समिति

1	महानिदेशक, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद	अध्यक्ष
2	उप महानिदेशक/सहायक महानिदेशक, उपकार	सदस्य
3	संबंधित बाहय विशेषज्ञ जिनके द्वारा परियोजना का मूल्यांकन पूर्व में न किया गया हो तथा जो प्रोजेक्ट से संबंधित कृषि विश्वविद्यालय/संस्था का न हो	सदस्य
4	संबंधित वैज्ञानिक अधिकारी, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद	सदस्य सचिव

अनुमोदन समिति

1	कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन	अध्यक्ष
2	प्रमुख सचिव, कृषि, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग, उ.प्र.शासन	सदस्य
3	महानिदेशक, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद	सदस्य सचिव
4	कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश	सदस्य
5	कृषि विश्वविद्यालयों यथा कानपुर, अयोध्या, मेरठ, बांदा के कुलपति/कुलपति द्वारा नामित प्रतिनिधि।	सदस्य
6	वित्त विभाग का प्रतिनिधि जो विशेष सचिव से अनिम्न स्तर का हो।	सदस्य
7	अन्य किसी विभाग यथा निदेशक, पशुपालन/उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण/कुलपति, पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, मथुरा मे से कोई एक अथवा उनके द्वारा संबंधित परियोजना के संबंध में नामित सदस्य	सदस्य

lyXud&1

उत्तर प्रदेश शासन
कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग
संख्या–226 / 67–कृशिअ–14–700(29) / 02
लखनऊ:दिनांकः 24 जनवरी, 2014

कार्यालय ज्ञाप

उत्तर प्रदेश राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद द्वारा उ0प्र0 कृषि अनुसंधान परिषद को उपलब्ध कराई गयी रू0–10.00 करोड़ की धनराशि एवं उससे अर्जित ब्याज के संकलित योग के सापेक्ष प्रस्तावित योजनाओं के सफल कियान्वयन हेतु श्री राज्यपाल महोदय निम्नवत परीक्षण तथा अनुमोदन समिति गठित किये जाने के आदेश प्रदान करते है:–

(क)परीक्षण समिति–

1. महानिदेशक, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद — अध्यक्ष।
2. उप महानिदेशक / सहायक महानिदेशक, उपकार — सदस्य।
3. संबंधित वाह्य विशेषज्ञ जिनके द्वारा परियोजना का मूल्यांकन पूर्व मे न किया गया हो तथा जो प्रोजेक्ट से संबंधित कृषि विश्वविद्यालय / संस्था का न हो — सदस्य।
4. संबंधित वैज्ञानिक अधिकारी, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद — सदस्य सचिव।

(ख) अनुमोदन समिति–

1. कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन। — अध्यक्ष।
2. प्रमुख सचिव, कृषि, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग। — सदस्य।
3. महानिदेशक, उ.प्र. कृषि अनुसंधान परिषद, उत्तर प्रदेश। — सदस्य सचिव।
4. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। — सदस्य।
5. कृषि विश्वविद्यालयों यथा कानपुर, फैजाबाद, मेरठ, बांदा के कुलपति / कुलपति द्वारा नामित प्रतिनिधि। — सदस्य।
6. वित्त विभाग का प्रतिनिधि जो विशेष सचिव से अनिम्न स्तर का हो। — सदस्य।
7. अन्य किसी विभाग यथा निदेशक, पशुपालन / उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण / कुलपति, पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, मथुरा मे से कोई एक अथवा उनके द्वारा संबंधित परियोजना के संबंध में नामित सदस्य। — सदस्य।

2– प्रश्नगत धनराशि के उपयोग हेतु प्रस्तावित परियोजनाओं के निर्माण, परीक्षण एवं अनुमोदन के समय निम्न विन्दुओं का संज्ञान अनिवार्य रूप से लिया जायेगा:–

- प्रदेश के विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों / अन्य कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान से जुडे राज्य की संस्थाओं से उक्त परियोजना———हेतु डी.पी.आर. मांगा जाये, परियोजना से संबंधित डी.पी.आर., इस प्रकार होना चाहिये कि इनके कियान्वयन के बाद किसी प्रकार के आवर्तक व्यय की आवश्यकता न हो क्योंकि धनराशि एक निश्चित धनराशि है, जिसके समाप्त होने के बाद डी.पी.आर. का वित्त पोषण किया जाना असंभव होगा।
- परियोजनाओं के निर्माण से संबंधित कार्य परीक्षण समिति द्वारा किये जायेगें।
- परियोजनाओं से संबंधित डी0पी0आर0 का अनुमोदन, परियोजना हेतु कितनी धनराशि कितने चरणों में दी जानी है तथा कार्य का अनुश्रवण किस प्रकार से किया जायेगा, का निर्णय अनुमोदन समिति द्वारा ही किया जायेगा।
- अनुमोदन समिति द्वारा उन्हीं परियोजनाओं को अनुमोदित किया जायेगा, जो अपने आप में पूर्ण हों, क्योंकि उपलब्ध धनराशि, नियत धनराशि है।

- समिति द्वारा उन्ही परियोजनाओं को अनुमोदित किया जायेगा, जिनके पूर्ण होने के उपरान्त किसी प्रकार का आवर्तक व्यय/दायित्व राज्य सरकार के ऊपर न सृजित हों।
- परियोजनाओं में पुरस्कार के लिए कोई प्रावधान नहीं किया जायेगा।
- प्रस्तावित परियोजनायें कृषि शिक्षा, शोध एवं प्रसार पर आधारित होंगी। परियोजनाओं में भौतिक परिसम्पत्तियों के निर्माण का प्रावधान नहीं किया जायेगा।
- धनराशि कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान के लिये है। ऐसी स्थिति में धनराशि से लैपटॉप, प्रिंटर, नोट बुक, ए.सी., टी.वी. खरीदा जाना किसी प्रकार से अनुमन्य नहीं होगा।
- परियोजनाओं हेतु धनराशि अवमुक्त करने के समस्त अधिकार अनुमोदन समिति को प्रतिनिधानित होगें, क्योंकि यह धनराशि बजट में प्राविधानित धनराशि नहीं है।
- प्रत्येक तीन माह पर परिषद अपने स्तर से मूल्यांकन करते हुए प्रत्येक छः माह पर परियोजनाओं के भौतिक एवं वित्तीय प्रगति से अनुमोदन समिति को अवगत कराते हुए वित्तीय निर्गमन के अनुमोदनार्थ रखेगी।
- परिषद आय–व्यय का पूर्ण विवरण रखेगी। वित्त पोषित परियोजनाओं का वार्षिक आडिट महालेखाकार उत्तर प्रदेश द्वारा किया जायेगा। आडिट प्रकिया में परिषद/सम्बन्धित संस्था महालेखा कार्यालय को पूर्ण सहयोग करेगी तथा आडिट कराने के जिम्मेदारी भी सम्बन्धित संस्थाओं की ही होगी।
- संस्थागत शुल्क का निर्धारण भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के दिशा–निर्देशों के अनुरूप होगा।
- परियोजनाओं से सम्बन्धित डी0पी0आर0 शोध/शिक्षा/प्रसार हेतु भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा निर्धारित दिशा निर्देश एवं मानक के अनुरूप राज्य में कृषि शिक्षा, शोध एवं प्रसार के उत्थान हेतु स्थापित संस्थाओं के वैज्ञानिकों के ही अनुमोदित किये जायेगें।
- परियोजनाओं का प्रारम्भ शीघ्रातिशीघ्र प्रारम्भ किये जाने को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी।
- अन्य आवश्यक निर्णय अनुमोदन समिति द्वारा लिये जा सकते है।

देबाशीष पण्डा,
प्रमुख सचिव।

सं0–226(1)/67–कृशिअ–14, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. मा0 अध्यक्ष, उ.प्र. कृषि अनुसंधान परिषद, लखनऊ।
2. कृषि उत्पादन आयुक्त,उत्तर प्रदेश शासन।,
3. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. महानिदेशक, उ0प्र0 कृषि अनुसंधान परिषद।
5. कुलपति, कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर, फैजाबाद, मेरठ एवं बॉदा।
6. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश।
7. समिति के अन्य सदस्यगण।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से।

(निखिल चन्द्र शुक्ला)
विशेष सचिव।